[TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE PART – IV EXTRA – ORDINARY] GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (TRANSPORT DEPARTMENT) 5/9, UNDER HILL ROAD, DELHI-54.

Dated the 11th April, 2016

NOTIFICATION

NO.F.3 (218)/MRTS/Tpt./2015/83 — Whereas the National Capital Territory of Delhi has more than nine million registered vehicles and the vehicular pollution has become a major source of air pollution in Delhi, and

Whereas Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court of Delhi and Hon'ble National Green Tribunal have passed various directions from time to time to take immediate action to control the alarming level of vehicular pollution in Delhi and all out efforts are being made to give effect to the directions of the Hon'ble courts.

Therefore, in exercise of the powers conferred by section 115 read with clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act 1988, (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that further steps are required to control vehicular pollution caused by non-transport four wheeled vehicles (motor cars etc.), hereby orders in the interest of public safety that the following prohibitory / restrictive measures shall be in vogue in the area of National Capital Territory of Delhi, namely:-

- (i) The plying of non-transport four wheeled vehicles (Motor Cars etc.) having registration number ending with odd digit (1,3,5,7,9) shall be prohibited on even dates of the month of April (i.e. 16th ,18th, 20th, 22nd, 26th and so on) and plying of the non-transport Vehicles having registration number ending with even digit (0,2,4,6,8) shall be prohibited on odd dates of the month of April (i.e. 15th , 19th, 21st, 23rd , 25th and so on).
- (ii) These restrictions shall also apply to the non-transport four wheeled vehicles bearing registration number of other states.
- (iii) These restrictions shall be applicable from 8 AM to 8 PM of such dates.
- (iv) These restrictions shall not be applicable on Sundays.



- (v) These restrictions shall not apply to the vehicles of such categories as mentioned in the Schedule annexed to this notification.
- (vi) Violation of these orders shall attract a fine of Rs. 2000/- in accordance with the provisions of sub- section (1) of section 194 of the Motor Vehicles Act, 1988.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 200 and under sub-section (1) of section 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with rule 123 of the Delhi Motors Vehicles Rules, 1993, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to authorize the following officers to compound the aforementioned offence with the amount of Rupees 2000/-, —

- (a) Officers of the rank of Head Constable and above of Delhi Police.
- (b) Officers of the rank of Head Constable and above of the Transport Department, GNCTD.
- (c) Officers or authorities as authorized by Divisional Commissioner, Revenue Department, GNCTD. All such officers are also authorized to exercise the power under clause (e) of sub-section (5) of section 213 to launch prosecution under section 194 of the M.V Act, 1988 for the offences committed in violation of this notification and they will be deemed to be officers of Transport Department, GNCTD under sub-section (1) of section 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 read with rule 123 of Delhi Motors Vehicles Rules, 1993, for these purposes.

The amount compounded by the authorized officers/authorities shall be deposited in the "Major Head 0041, taxes on vehicles, 101-IMV (Fees & Fine)", of the Transport Department, Govt. of NCT of Delhi.

The above notification shall come into force with effect from **15th April, 2016** and will remain in force **till 30th April, 2016**.

SCHEDULE

- (i) Vehicles of the President of India;
- (ii) Vehicles of the Vice President of India;
- (iii) Vehicles of the Prime Minister of India;
- (iv) Vehicles of Governors of States;
- (v) Vehicles of Chief Justice of India;
- (vi) Vehicle of the Speaker of Lok Sabha;
- (vii) Vehicles of the Ministers of the Union;
- (viii) Vehicles of the Leaders of Opposition in the Rajya Sabha and Lok Sabha;
- (ix) Vehicles of Chief Ministers of States / Union Territories except Chief Minister, Government of National Capital Territory of Delhi;
- (x) Vehicles of the Judges of Supreme Court of India;
- (xi) Vehicle of Chairperson, Union public service commission, Vehicles of Chief Election Commissioner / Election Commissioners and Vehicle of Controller & Auditor General of India;
- (xii) Vehicle of the Deputy Chairman of Rajya Sabha;
- (xiii) Vehicle of the Deputy Speaker of Lok Sabha;
- (xiv) Vehicle of Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi;
- (xv) Vehicles of the Chief Justice and Judges of Delhi High Court;
- (xvi) Vehicle of the Lokayukta;
- (xvii) Emergency Vehicles i.e. Ambulance, Fire Brigade, Hospital, Prison, Hearse vehicles;
- (xviii) Enforcement vehicles i.e. vehicles of Police, vehicles of Transport Department GNCTD, vehicles authorised by the Divisional Commissioner GNCTD, para military forces etc.;
- (xix) Vehicles bearing Ministry of Defence number plates;
- (xx) Vehicles which are having a pilot/ escort;
- (xxi) Vehicles of SPG protectees;
- (xxii) Embassy Vehicles bearing CD numbers;
- (xxiii) Compressed Natural Gas driven vehicles (these vehicles should prominently display sticker 'CNG Vehicle' on the front windscreen issued by M/s Indraprastha Gas Ltd.), Electric vehicles, Hybrid vehicles;
- (xxiv) Vehicles being used for medical emergencies (will be trust based);
- (xxv) Women only vehicles including children of age upto 12 years travelling with them;
- (xxvi) Vehicles driven/occupied by handicapped persons;
- (xxvii) Vehicles of State Election Commission, Delhi & Chandigarh and vehicles deployed by the Commission with Election Observers/Returning Officers/Asstt. Returning Officers & Security vehicles etc. and
- (xxviii) Vehicles carrying child/children in school uniform.

By order and in the name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(K.K. Dahiya)

Special Commissioner (Transport)

(दिल्ली राजपत्र भाग—4 असाधारण में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (परिवहन विभाग) 5 / 9 अंडर हिल रोड, दिल्ली—110054.

दिनांकः ११ अप्रैल, २०१६

अधिसूचना

सं.फा. 3(218)/एमआरटीएस/परि0/2015/83 — जबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नब्बे लाख से अधिक पंजीकृत वाहन है तथा वाहन प्रदूषण वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा स्रोत बन गया है, तथा

जबिक, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने समय—समय पर तत्काल कार्यवाही करने और दिल्ली में वाहन प्रदूषण के खतरनाक स्तर को नियंत्रण में लाने हेतु तत्काल कार्यवाही करने के लिये विभिन्न निदेश दिए हैं तथा माननीय न्यायालयों के निदेशों को लागू करने के लिये सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं।

इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पिठत धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस विचार से सहमित रखते हुए कि चार पिहया गैर पिरवहन वाहनों (मोटर कार इत्यादि) के कारण होने वाले वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये अधिक उपाय करने चाहिए, सार्वजिनक सुरक्षा के हित को देखते हुए एतद्द्वारा आदेश देते हैं कि निम्नलिखित निषेधात्मक / प्रतिबंधक उपाय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होंगे, अर्थात्

- (i) गैर परिवहन चार पहिया वाहन (मोटर कार आदि) जिसका पंजीकृत नम्बर विषम अंकों (1,3,5,7,9) से समाप्त होता है उनका अप्रैल महीने की समसंख्यक तिथियों (अर्थात् 16, 18, 20, 22, 26 और इसी तरह) तथा गैर परिवहन चार पहिया वाहन (मोटर कार आदि) जिसका पंजीकृत नम्बर समसंख्यक अंकों (0,2,4,6,8) से समाप्त होता है उनका अप्रैल महीने की विषम तिथियों (अर्थात् 15, 19, 21, 23, 25 और इसी तरह) को चलाना निषेध होगा।
- (ii) यह प्रतिबंध अन्य राज्यों में पंजीकृत गैर परिवहन चार पहिया वाहनों पर भी लागू होगा।
- (iii) यह प्रतिबंध इन तिथियों में प्रातः ८बजे से सायं ८वंजे तक लागू होगा।
- (iv) यह प्रतिबंध रविवार को नहीं होगा।
- (v) यह प्रतिबंध इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में यथा उल्लिखित ऐसी श्रेणियों के वाहनों पर लागू नहीं होगा।

Art

(vi) इन आदेशों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसरण में 2000/-रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।

आगे, दिल्ली मोटर वाहन नियमावली के नियम 123 के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 200 की उपधारा (1) तथा धारा 213 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा 2000/—रुपये की राशि का भुगतान करने पर पूर्वोक्त अपराध के प्रशमन के लिये निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करते हैं :—

- (क) दिल्ली पुलिस के प्रधान सिपाही के रैंक तथा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी।
- (ख) परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रधान सिपाही के रैंक तथा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी।
- (ग) मंडलीय आयुक्त, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी। सभी ऐसे अधिकारियों को, इस अधिसूचना के उल्लंघन में अपराध करने के लिये मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 के अधीन अभियोजन शुरू करने हेतु धारा 213 की उपधारा (5) के खंड (ई) की शक्ति का प्रयोग करने के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है तथा उन्हें इन उद्वेश्यों के लिए दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 123 के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213 की उपधारा (1) के अन्तर्गत परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारी समझा जायेगा।

प्राधिकृत अधिकारियों / प्राधिकारियों द्वारा प्रशमन की गई राशि परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के ''मैजर हैड 0041, वाहन पर कर, 101—आईएमवी (शुल्क एवं जुर्माना)'' में जमा कराई जायेगी।

उक्त अधिसूचना दिनांक 15 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगी तथा 30 अप्रैल, 2016 तक लागू रहेगी।

अनुसूची

- (i) भारत के राष्ट्रपति के वाहन;
- (ii) भारत के उप-राष्ट्रपति के वाहन;
- (iii) भारत के प्रधानमंत्री के वाहन;
- (iv) राज्यों के राज्यपालों के वाहन;
- (v) भारत के मुख्य न्यायाधीश के वाहन;
- (vi) लोकसभा अध्यक्ष का वाहन:
- (vii) संघ के मंत्रियों के वाहन;
- (viii) लोकसभा / राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष के वाहन;

Pro

- राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों के वाहन, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को (ix) छोडकर;
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वाहन; (x)
- अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्तों तथा भारत के नियंत्रक (xi) महालेखापरीक्षक के वाहन:
- राज्यसभा के उपाध्यक्ष का वाहन: (xii)
- लोकसभा के उपाध्यक्ष का वाहन; (xiii)
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल का वाहन; (xiv)
- दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों के वाहन; (xv)
- लोकायुक्त का वाहन; (xvi)
- आपातकालीन वाहन अर्थात् एम्बूलेशन, दमकल, अस्पताल, जेल, शव वाहन; (xvii)
- प्रवर्तन वाहनों अर्थात पुलिस के वाहन, परिवहन विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वाहन, (xviii) मंडलीय आयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्राधिकृत वाहन, अर्धसैनिक बल इत्यादि;
- रक्षा मंत्रालय की नम्बर प्लेटों वाले वाहन: (xix)
- पायलेट / एस्कोर्ट वाले वाहन; (xx)
- (xxi) विशेष सुरक्षा बल (एसपीजी) के वाहन;
- सीडी नम्बरों वाले दुतावास के वाहन; (xxii)
- संपीड़ित प्राकृतिक गैस से चलने वाले वाहन (इन वाहनों की फरंट विंडस्क्रीन पर मैसर्स इन्द्रप्रस्थ गैस (xxiii) लिमिटेड द्वारा जारी-"सीएनजी वाहन" स्टिकर स्पष्ट रूप से लगे होने चाहिए) इलैक्ट्रीक वाहन, हाइब्रिड वाहन;
- (xxiv) आपातकालीन चिकित्सा के लिये उपयोग में लाए जा रहे वाहन- (विश्वास आधारित होंगे);
- वाहन जिन में केवल महिलाए व 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे हों।
- (xxvi) विकलांग व्यक्ति द्वारा चलाये जा रहे वाहनः / वाहन जिन में विकलांग व्यक्ति बैठे हों।
- (xxvii) राज्य चुनाव आयोग, दिल्ली चंडीगढ़ के वाहन तथा चुनाव पर्यवेक्षक / रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं स्रक्षा वाहनों इत्यादि में राज्य चुनाव आयोग द्वारा तैनात वाहन। और

(xxviii) ऐसे वाहन जिनमे विधालय की वर्दी में बच्चा / बच्चे बैठे हो।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर.

विशेष आयुक्त (परिवहन)